मेरठ विकास प्राधिकरण

की

10वीं बोर्ड बैठक

दिनॉक 16—5—79

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 16-5-79 की कार्यवाही

स्थान : मेरठ विकास प्राधिकरण कार्यालय, दास मोटर्स बिल्डिंग, आबू लेन, मेरठ ।

समय : 3-00 बजे अपरान्ह ।

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे :

1-	श्री आर०के०गोयल	आयुक्त	अध्यक्ष
2-	श्री ए०पी०सिंह	जिलाधिकारी	उपाध्यक्ष
3-	श्री आर०एम०पाण्डेय	उपसचिव, आवास विभाग	सदस्य
4-	श्री पी०के०पाण्डेय	उपसचिव, वित्त विभाग	सदस्य
5-	श्री जे०पी०दुबे	मुख्य नगरएवं ग्राम नियोजक	सदस्य
6-	श्री ए०पी०सिंह	आवास आयुक्त, उ०प्र०	सदस्य
7-	श्री आर०के०सिंह	प्रशासक नगरपालिका, मेरठ ।	सदस्य
8-	श्री एस०सी०गुप्ता	अधि०अभि०, जलनिगम	सदस्य

1- पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी ।

2- पिछली बैठक में निर्देशित मामलों में प्रगति।

2/2/2/2/2/6 सब्जी मण्डी का वर्तमान क्षेत्र से स्थानान्तरण।

इस योजना हेतु यह निर्णय लिया गया कि इसके लिये डायरेक्टर मण्डी समिति को लिखा जाये और उसके उपरान्त स्थल पर सब्जी मण्डी अधिग्रहण विकास सम्बन्धी योजना तैयार करायी जाये ।

2/2/2/2/2/7/8 तथा 2/2/4 अनाधिकृत कालौनियों के सम्बन्ध में।

दिनाँक 2-2-79 की बैठक द्वारा गठित समिति की रिर्पोट रखी गयी जिसके आधार पर 5 अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने हेतु मानचित्र

प्रस्तुत किये गये। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कालोनी के लिये अलग-अलग विस्तृत रिर्पोट बनायी जाये कि महायोजना प्रस्तावों एवं एक्ट के अनुसार क्या-क्या छूट देनी होगी।

2/2/2/2/2/11,12,13 हापुड रोड पर प्रथम योजना के प्रथम चरण में भूमि अर्जन करना, कमजोर वर्ग निम्न एवं मध्यम वर्ग के लिये आवास निर्माण योजना।

भूमि अर्जन हेतु जो 15 लाख रुपये व्यय दिये गये थे, उनमें से 80 प्रतिशत वापिस करने हेतु लिखा जाये एवं इस योजना को हडको की Requirements के अनुरुप किया जाये। योजना की Cost Economicd की गणना की जाये क्योंकि 20 प्रतिशत या बैंक गारन्टी पर अध्याप्ति की कार्यवाही हो सकती है।

2/2/2/2/2/16 दामोदर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी द्वारा मेरठ विकास प्राधिकरण कोष से अंकन 75,000/-को दिनाँक 30-3-78 में नाले के निर्माण हेतु।

प्रस्तावित नाले को आवास एवं विकास परिषद के नाले में मिलाने हेतु परिषद से विचार विमर्श के उपरान्त शीघ्र निर्णय लिया जाये। प्राधिकरण के आर्कीटैक्ट प्लानर आवास विकास परिषद के अधीक्षण अभियन्ता से सम्पर्क स्थापित करके इस बारे में रिर्पोट प्रस्तुत करें।

2/2/2/2/2/11,12 सूरजकुण्ड एवं जीमखाना मैदान को सौन्दर्य स्थल के रुप में विकसित करने पर विचार।

उपरोक्त योजना के लिये यह निर्णय लिया गया कि सूरजकुण्ड का सौन्दर्यीकरण एवं सांस्कृतिक केन्द्र का विकास करने की योजना को द्वितीय चरण में लिया जाये। प्रथम चरण में केवल व्यवसायिक केन्द्र को ही विकसित किया जाये। इस योजना में Cost Economice का ब्यौरा देते हुए योजना का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें।

2/2/2/2/10 मेरठ विकास प्राधिकरण के आर्कीटैक्ट प्लानर की नियुक्ति के सम्बन्ध में।

आगामी बैठक के लिये स्थगित किया गया।

2/4 प्राधिकरण के संकल्प संख्या-10 दिनाँक 12-7-77 के अनुपालन में उ०प्र०औद्योगिक विकास निगम (यू०पी० एस० आई० डी० सी०) द्वारा कोल सामग्री योजना के अन्तर्गत स्थल पर प्लाटस के सैट बैक में क्रमशः चैक पोस्ट(गार्ड रुम) तथा गैराज आदि की अनुमति दिया जाना।

स्वीकृत।

2/6 भूमिया पुल के निकट मार्ग के दोनों ओर 8300 वर्गगज भूमि जोकि निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के आवास हेतु व्यवसायिक (दूकानों की) योजना हेतु उपयुक्त है। महायोजना में भी इस स्थल को बी-1 दिखाया गया है। भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव सूचनार्थ प्रेषित है।

प्रस्ताव को भूमि अधिग्रहण हेतु शीघ्र भूमि अध्याप्ति अधिकारी से शासन को भेजने के लिये कहा जाये एवं योजना की (Cost Economy) की गणना करते हुए विस्तृत विवरण तैयार किया जाये।

2/9 मेरठ महायोजना को सजरे पर ड्राफट करने के उपरान्त नगर एवं ग्राम एवं ग्राम नियोजक विभाग द्वारा प्राधिकरण को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

तहसील से सजरा मानचित्रों को लेकर 15 दिन से एक माह के अन्दर सम्पूर्ण सजरा मानचित्रों को एकत्र कर लिया जाये एवं उसके उपरान्त सहयुक्त नियोजक मेरठ महायोजना को सजरा मानचित्र पर हस्तान्तरण करने हेतु दे दिया जाये। आर्कीटैक्ट प्लानर तहसीलदार से सम्पर्क स्थापित करके सभी नक्शे प्राप्त कर सहयुक्त नियोजक को भिजवायें।

भूउपयोग के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि सहयुक्त नियोजक जितने पुराने लम्बित सन्दर्भ हो उनका शीघ्र निस्तारण करें।

2/11 मेरठ महायोजना में प्रस्तावित भूउपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष महोदय निर्णय लें। प्राधिकरण की बैठक में ऐसे व्यक्तिगत मामले रखने की आवश्यकता नहीं है।

2/13 विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 2-2-79 के उपरान्त अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार मेरठ गढ रोड की चौडाई महायोजना में प्रस्तावित चौडाई से कम करने के सम्बन्ध में।

अध्यक्ष महोदय ने यह निर्णय लिया कि सहयुक्त नियोजक के साथ स्थल का निरीक्षण करेंगे और तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

3- बार्षिक लेखा बर्ष 1978-79

स्वीकृत।

4- मूल बजट बर्ष 1979-80

(1) क्रय किये जाने वाली साईकिल उन्हीं चपरासियों को दी जायेंगी जो डाक बाँटने अथवा नोटिस तामील करने का कार्य करते है।

(2) अगला बजट गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के बार्षिक बजट प्रपत्र पर तैयार करने की अनुशंसा की गयी।

(3) जो पद रिक्त हैं उनका विवरण भरे हुए पदों से पृथक होना चाहिए।

(4) बजट कमेटी द्वारा बैठक में पारित किया गया।

5- प्राधिकरण के फील्ड स्टाफ के अधिकारियों/ कर्मचारियों को वाहन भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में।

शासनादेशानुसार स्वीकृत किया गया।

6- प्राधिकरण के अधिकारियों/ कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में।

इस बिषय में यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरणों से इस सम्बन्ध में पूँछा जाये कि वहाँ क्या सुविधायें दी जा रही है, उसके उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाये।

7- प्राधिकरण के अधिकारियों/ कर्मचारियों को आवास सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव वापस ले लिया गया।

8- राजकीय इण्टर कालिज के खेल मैदान में से सडक की ओर की 35 फुट चौडी पट्टी पर दूकानें एवं आवास भवन बनाने का प्रस्ताव।

योजना के भूमि अधिग्रहण/हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गयी एवं यह निर्णय लिया गया कि योजना की (Cosr Ecnomy) की गणना की जाये तथा विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाये।

9- मोहनपुरी में 51,425 वर्गगज की भूमि पर मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों के आवास हेतु प्रस्ताव भूमि अर्जन हेतु।

मोहनपुरी 51,425 वर्गगज की भूमि पर मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों के आवास हेतु प्रस्ताव भूमि अर्जन हेतु स्वीकृत किया गया।

10-उप शिक्षा निदेशक के कार्यालय स्थल पर बहुमंजिली आवासीय सूटस बनाने का प्रस्ताव भूमि अर्जन हेतु।

बैठक में भूमि अधिग्रहण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी और पूर्ण योजना की विस्तृत रुप रेखा (Cost Ecnomy) की गणना के साथ तैयार करने के आदेश दिये गये।

11- सूरजकुण्ड के निकट 19925 वर्गगज भूमि पर एक छोटा व्यवसायिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र का प्रस्ताव।

भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा यह निर्णय लिया गया कि योजना के प्रथम चरण में केवल व्यवसायिक केन्द्र को ही विकसित किया जाये तथा सौन्दर्यीकरण एवं सांस्कृतिक केन्द्र के निर्माण की योजना द्वितीय चरण में ली जाये। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण बनाने एवं (Cost Ecnomy) की गणना करने हेतु आदेश दिया गया।

12- प्राधिकरण द्वारा लघु कृषक विकास एजेन्सी द्वारा पंचायत घर का निर्माण कार्य, स्वीकृति हेतु।

पंचायत भवन एवं आवास गृह काम्पलैक्स के निर्माण की स्वीकृति दी गयी किन्तु यह निर्णय लिया गया कि इस योजना को वास्तविक व्यय के आधार पर किया जाये।

13- प्राधिकरण द्वारा बडी आवासीय एवं व्यवसायिक योजनायें बनाने हेतु निजी आर्कीटैक्टस से सहायता प्राप्त करना, स्वीकृति हेतु।

समय के अभाव के कारण इस पर विचार विमर्श नहीं किया गया तथा बैठक स्थगित की गयी।

14- प्राधिकरण को बर्ष 1979-80 के लिये विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु मूल सम्पत्ति के रुप में एक करोड रुपये दिया जाना, स्वीकृति हेतु।

समय के अभाव के कारण इस पर विचार विमर्श नहीं किया गया तथा बैठक स्थगित की गयी।

15- बेगम पुल से कचहरी पुल तक आबू नाले को पाटकर एक आधुनिक व्यवसायिक केन्द्र बनाने की योजना, स्वीकृति हेतु।

समय के अभाव के कारण इस पर विचार विमर्श नहीं किया गया तथा बैठक स्थगित की गयी।

16- प्राधिकरण के कार्य संचालन में कठिनाईयाँ एवं सुझाव।

समय के अभाव के कारण इस पर विचार विमर्श नहीं किया गया तथा बैठक स्थगित की गयी ।

ह०/-	ह०/-	ह०/-
सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण	मेरठ विकास प्राधिकरण	मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ ।	मेरठ ।	मेरठ ।